



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 आश्विन 1938 (श0)  
(सं0 पटना 819) पटना, वृहस्पतिवार, 6 अक्टूबर 2016

सं0 11/नई उत्पाद नीति-01-04/2016—3922  
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग  
(उत्पाद एवं मद्य निषेध)

संकल्प

5 अक्टूबर 2016

**विषय:—राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करने के पश्चात् विदेशी शराब एवं बीयर के व्यापार में संलग्न उद्योग/प्रतिष्ठानों के द्वारा उत्पादित भारत निर्मित विदेशी शराब और बीयर के निर्यात शुल्क तथा बोटलिंग फी में शत-प्रतिशत छूट के संबंध में नीतिगत निर्णय।**

विभागीय अधिसूचना सं0-1391 दिनांक 31.03.2016 द्वारा देशी शराब का विनिर्माण, बिक्री एवं उपभोग आदि पर सम्पूर्ण राज्य में रोक लगा दिया गया है और विभागीय अधिसूचना सं0-1485 दिनांक 05.04.2016 के द्वारा विदेशी शराब का थोक एवं खुदरा व्यापार तथा उपभोग पर सम्पूर्ण राज्य में रोक लगा दिया गया है। फलतः राज्य में देशी शराब विनिर्माण बन्द होने के साथ-साथ खरीद बिक्री एवं उपभोग भी बन्द है। किन्तु विदेशी शराब का खरीद-बिक्री एवं उपभोग पर रोक है उसका विनिर्माण या बोटलिंग प्रतिबंधित नहीं है।

2. राज्य में भारत निर्मित विदेशी शराब और बीयर का बोटलिंग प्रतिबंधित नहीं होने के कारण राज्य में स्थापित विदेशी शराब एवं बीयर की ईकाईयों द्वारा बोटलिंग किया जा रहा है। किन्तु राज्य में इनका व्यापार प्रतिबंधित होने के कारण इनके उत्पाद की बिक्री नहीं हो रही है। इन ईकाईयों के समक्ष दूसरे राज्यों में निर्यात के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है।

3. पूर्व में बीयर कंपनियों द्वारा कतिपय कारण का उल्लेख करते हुए निर्यात में कठिनाई जताई थी किन्तु अब उनके द्वारा निर्यात की अनुमति का अनुरोध किया गया है। उनके द्वारा दिनांक 31.03.2016 तक तैयार किये गये उत्पादों का निर्यात नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में कम्पनियों को सशर्त निर्यात की अनुमति के साथ निर्यात शुल्क तथा बोटलिंग फी में छूट प्रदान करना विचारणीय है।

4. सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि—

- भारत निर्मित विदेशी शराब तथा बीयर को निर्यात करने की अनुमति/परमिट प्रदान की जायेगी।
- भारत निर्मित विदेशी शराब तथा बीयर पर प्रचलित निर्यात शुल्क और बोटलिंग फी में शत-प्रतिशत छूट दी जायेगी।
- उपर्युक्त कंडिका (i) और (ii) की अनुमति एवं छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन मान्य होंगे—

- (क) निर्माताओं द्वारा उत्पाद जिस ट्रक से बाहर भेजा जायेगा उस पर GPS & Digital Lock अपने खर्चे पर लगाया जायेगा तथा Security Agency की सुरक्षा में माल को गंतव्य स्थान तक पहुँचाया जायेगा।
- (ख) वे जो उत्पाद बाहर भेजेंगे उसका विस्तृत ब्यौरा उत्पाद विभाग को उपलब्ध करायेंगे। अगर उसमें से कोई भी उत्पाद बिहार के क्षेत्र में कहीं भी पाया जाता है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी।
- (ग) शराब और बीयर के पुराने स्टॉक को लेबल बदलकर 3 माह के अन्दर निर्यात करना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (घ) पुराना स्टॉक पहले निकालने की गारंटी नहीं देने वाले को निर्यात की अनुमति/परमिट नहीं दी जायेगी।
- (ङ) निर्यातक को रू0 एक करोड़ की बैंक गारंटी प्रतिवर्ष प्रतिभूति के तौर पर रखनी होगी।

**आदेश:-** आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
आमिर सुबहानी,  
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 819-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>